

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in

Tel./Fax :- 0135 - 2442052

पत्रांक:- 881 / 8812-1, दिनांक, मुनिकीरेती, 21/10 /2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

डायरी संख्या... 1676
फाइल नं... 3301
दिनांक... 6/11/15

विषय :- जनपद- टिहरी गढ़वाल में लोस्तू घण्डियाल होन्दु मोटर मार्ग से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र संख्या-990/FP/UK/ROAD/11057/2015 दिनांक 30-09-2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो वन संरक्षक भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को सम्बोधित तथा इस कार्यालय एवं आपको पृष्ठांकित है में भारत सरकार द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। दी गयी शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

शर्त संख्या-01. के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास/ मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 1.650 किमी0 @ 3,22,102.00 प्रति किमी0 मु0 5,31,468.00 की धनराशि जमा करनी होगी।

शर्त संख्या-02. एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.99 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 8,36,550.00 धनराशि जमा करनी होगी।

शर्त संख्या- प्रस्तावक द्वारा निर्देशानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

शर्त संख्या- 03. शर्त संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त संख्या- 04 व 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों की देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। RTGS हेतु कॉर्पोरेशन बैंक का IFSC Code CORP0000371, MICR Code 110017007 एवं ब्रॉच कोड 000371 है। विस्तृत जानकारी हेतु सन्दर्भित पत्र का अवलोकन भी करना चाहे।

शर्त संख्या- 06. के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा।

शर्त संख्या- 07. के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है।

शर्त संख्या- 08. के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

LAC
21/10/15

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

✓ (सिद्धल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती ।